

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक:एफ 4-4/2002/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2005

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश .

विषय- प्रदेश के बाहर महानगरों में शासकीय कार्य से दौरे के दौरान उठरने एवं स्थानीय यात्राओं के व्यय की प्रतिपूर्ति ।

--00--

इस संबंध में प्रदेश के बाहर महानगरों में स्थानीय यात्राओं के लिए माईलेज संबंधी वित्त विभाग के आदेश क्रमांक जी 22/6/94/सी/चार, दिनांक 4 अक्टूबर 1996 को निरस्त करते हुए नीचे दिए अनुसार निर्देश जारी किए जा रहे हैं ।

2. शासकीय सेवकों को कर्तव्य के दौरान राज्य के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चैन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर और पुणे महानगरों में सरकारी काम से यात्रा करने पर तथा इन महानगरों में होटलों में ठहरने पर किराये की तथा स्थानीय यात्राओं के लिए माईलेज की, किराये की रसीद प्रस्तुत करने की शर्त पर, निम्नानुसार पात्रता होगी :-

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	ठहरने पर प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि	स्थानीय परिवहन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि
1.	सचिव व उनसे वरिष्ठ अधिकारी	ए. सी. रूपये 3000 /-	रूपये 1000 /-
2.	प्रथम श्रेणी	नान ए. सी. रूपये 2000 /-	रूपये 500 /-
3.	द्वितीय श्रेणी	नान ए. सी. रूपये 950 /-	रूपये 300 /-
4.	तृतीय श्रेणी	डारमेंट्री रूपये 400 /-	रूपये 200 /-
5.	चतुर्थ श्रेणी	रूपये 200 /-	रूपये 100 /-

इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के करों की वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी । उक्त सीमा सभी प्रकार के करों को मिलाकर होगी ।

3. यदि शासकीय सेवक अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करता है अर्थात् यदि वह अपने मित्र/संबंधी /रिश्तेदार के यहां रुकता है अथवा अन्य कोई भी व्यवस्था करता है एवं स्थानीय परिवहन की व्यवस्था स्वयं करता है तो उसके द्वारा संलग्न परिशिष्ट में दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर (बिना किराये की रसीद प्रस्तुत किए) निम्नानुसार निर्धारित सीमा तक ठहरने एवं स्थानीय परिवहन हेतु राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी :-

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	ठहरने हेतु राशि. (रूपये)	स्थानीय परिवहन हेतु राशि (रूपये)
1..	सचिव व उनसे वरिष्ठ अधिकारी	250 /-	250 /-
2.	प्रथम श्रेणी	225 /-	200 /-
3.	द्वितीय श्रेणी	200 /-	150 /-
4.	तृतीय श्रेणी	175 /-	100 /-
5.	चतुर्थ श्रेणी	100 /-	050 /-

4. दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चैन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर और पुणे महानगरों में सरकारी काम के लिए स्थानीय परिवहन हेतु पैरा 3 के अन्तर्गत माइलेज शासकीय सेवकों को नीचे लिखी सीमा के अंदर देय होगा :-

	महानगरों में मुकाम की अवधि	स्थानीय परिवहन हेतु माइलेज
1.	6 घंटे से कम	कुछ नहीं
2.	12 घंटे से कम लेकिन 6 घंटे से कम नहीं	आधी राशि
3.	24 घंटे से कम लेकिन 12 घंटे से कम नहीं	पूरी राशि

अगर महानगर में मुकाम की अवधि 24 घंटे से ज्यादा है तो देय माइलेज की ग्राह्यता की गणना उसी तरह की जाएगी जिस तरह दैनिक भत्ते की गणना की जाती है । यह माइलेज उस अवधि के लिए देय नहीं होगा जिस दिन शासकीय सेवक ने आंशिक रूप से भी सरकारी वाहन का उपयोग किया हो । सरकारी वाहन से तात्पर्य किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मुफ्त में प्रदाय की गई परिवहन सुविधा से है ।

5. प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ अधिकारियों को आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश, नई दिल्ली द्वारा वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । इनमें से रूपये 18,400 /- से अधिक वेतनमान पाने वाले अधिकारियों को हवाई अड्डे / रेलवे स्टेशन से मध्यप्रदेश भवन आने के लिये भी टैक्सी का इंतजाम वाहन सुविधा में शामिल होगा । रूपये 18400/- से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को यह विकल्प भी होगा कि वे शासकीय वाहन सुविधा का उपयोग न करते हुए उपर्युक्त पैरा 2 अथवा 3 के अनुसार माइलेज प्राप्त करें ।

6. अगर शासकीय सेवक किसी महानगर में केवल ट्रांजिट के लिए रुकता है तो उसे विकल्प होगा कि वह उपयुक्त पैरा 3 एवं 4 के तहत या एस, आर 23 के तहत माइलेज प्राप्त करे । एस. आर. 23, जिसके अनुसार प्रदेश के बाहर महानगरों के अलावा अन्य जगहों पर भी ट्रांजिट माइलेज देय है, निम्नानुसार है :-

S.R. 23 A Government servant who changes his mode of transport outside the State from air to surface or vice-versa and is required to travel from airport to road / rail station or vice-versa shall be entitled to the actual expenses incurred on local transport. This entitlement shall be limited to taxi fare between two points in case of those Government servants who are entitled to travel by Air-conditioned first class by rail and limited to auto-rickshaw fare between the two points in case of other Government servants.

Note :- The claim under this S.R. need not be supported by a receipt.

7. ऊपर पैरा 2, 3 और 6 के तहत किराया /माइलेज का क्लेम शासकीय सेवक को टीए बिल के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए । टी ए बिल में संलग्न परिशिष्ट के अनुसार प्रमाण पत्र भी दर्ज करना चाहिए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अर्जुन

(ए.पी. श्रीवास्तव)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

शासकीय सेवक द्वारा दौरे के दौरान रूकने परिवहन पर व्यय का प्रमाण - पत्र

(जो लागू न हो उसे काट दें)

प्रमाणित किया जाता है कि :-

- { i } मेरे द्वारा शासकीय कार्य से (नगर का नाम) प्रवास / दौरे के दौरान इस स्थान पर दिनांक -----को रूकने की व्यवस्था मेरे द्वारा स्वयं / मित्र /संबंधी के यहां की गई ।
- { ii } उक्त स्थान पर स्थानीय परिवहन हेतु मेरे द्वारा स्वयं व्यय किया गया है तथा शासकीय वाहन का उपयोग आंशिक रूप से भी नहीं किया गया ।

शासकीय सेवके हस्ताक्षर
पदनाम-----
कार्यालय-----


क्रमांक : एफ 4-4/2005/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2005

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रोषित ।



(पी.सी.वर्मा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग